

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.1(1)नविवि / 3 / 77

जयपुर, दिनांक:- 04 JUL 2023

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम-1962 के नियम 4 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.06.2013 के द्वारा बांसवाड़ा के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद्, बांसवाड़ा के निकाय की बैठक दिनांक 21.12.2022 के निर्णयानुसार जोनल ड्वलपमेंट प्लान के अन्तर्गत बांसवाड़ा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित किये गये संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त बांसवाड़ा मास्टर प्लान-2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर परिषद्, बांसवाड़ा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. आयुक्त, नगर परिषद्, बांसवाड़ा।
10. जिला नगर नियोजक, बांसवाड़ा।

11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .06.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय